समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

लालपुर-पांडेयपुर पुलिस की फुट पेट्रोलिंग, सड़क पर लगे अतिक्रमण हटवाए

CL SAINI Published on 26 Sep 2025

[illegible] | [illegible] | [illegible]

लालपुर-पांडेयपुर थाना पुलिस ने शुक्रवार को व्यापक स्तर पर फुट पेट्रोलिंग अभियान चलाकर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस बल और सभी चौकी प्रभारियों ने क्षेत्र के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त की।

पुलिस टीम ने अख्ता, पहड़िया रोड, काली माता मंदिर, दर्जीआना मस्जिद, बड़ी मस्जिद, पांडेयपुर चौराहा, मकबूल आलम रोड, आजमगढ़ रोड और पुलिस लाइन रोड पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने सड़क पर लगे अतिक्रमण को हटवाया। कई जगहों पर दुकानदारों और ठेला संचालकों को साफ-सुथरी व्यवस्था बनाए रखने की सख्त हिदायत दी गई।

थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण न केवल यातायात को बाधित करता है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए भी खतरा पैदा करता है। इसीलिए पुलिस नियमित रूप से इस तरह के अभियान चलाती है। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें, ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो।

फुट पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने आम लोगों से संवाद भी किया और उन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों और भीड़भाड़ वाले दिनों को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार गश्त जारी रखेगी।

स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि अतिक्रमण हटने से न केवल सड़कों पर जाम की समस्या कम होगी, बल्कि लोगों को आने-जाने में भी आसानी होगी।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह की पेट्रोलिंग और अभियान और तेज़ किए जाएंगे। साथ ही अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

कुल मिलाकर, लालपुर-पांडेयपुर पुलिस का यह अभियान क्षेत्र में व्यवस्था सुधारने और जनता में सुरक्षा का एहसास कराने की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हो रहा है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/CL SAINI, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.